

406/20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476305

आवेद मो.  
 ज. अ. अ. क. कोषां.  
 13 JAN 2020  
 लोहामण्डा, आगरा

रिनेश कुमार बंसल  
 अध्यापक लेखक  
 शील सदन आगरा



ओउम

- सम्पत्ति का प्रकार :- आवासीय।  
 वार्ड/परगना :- लोहामण्डी वार्ड, तहसील व जिला आगरा।  
 मौहल्ला/ग्राम :- भावना अरोमा, मौजा दहतौरा, लोहामण्डी वार्ड, तहसील व जिला आगरा

*Rishabh*



*Rishabh*



Handwritten text in Tamil script, including a date "10/11/2012" and a signature.

Small printed text or stamp, possibly a date or office mark.



Handwritten signature or scribble below the first portrait.

Handwritten signature or scribble below the second portrait.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476311

आविद मो०  
सहायक कोषाधिकारी

13 JAN 2020

आगरा, आगरा

2

विवरण विक्रीत सम्पत्ति:- एक किता भूमिखण्ड प्लॉट सं० 2 क्षेत्रफल 146.96 वर्ग मीटर पैमायशी जानिब पूरब 9.58 मीटर व जानिब पश्चिम 9.58 मीटर व जानिब उत्तर 15.34 मीटर व जानिब दक्षिण 15.34 मीटर पार्ट खसरा नं० 20 मौजा दहतौरा तहसील व जिला आगरा जिसकी कॉलोनी का नाम भावना अरोमा के नाम से है जो साथ लगे नक्शे में लाल रंग से जाहिर किया गया है। निम्न सीमांकित:-

पूरब	:-	रास्ता 12.19 मीटर चौड़ा
पश्चिम	:-	प्लॉट नं० 03
उत्तर	:-	रास्ता 9 मीटर चौड़ा
दक्षिण	:-	प्लॉट नं० 01
मापन की ईकाई	:-	वर्ग मीटर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:-	146.96 वर्ग मीटर
सड़क की स्थिति (परिष्ठी के अनुसार)	:-	12.19 मीटर चौड़ा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476310

आविद. मे.  
सहायक कोषाधिकारी  
13 JAN 2020  
गोरखगंज, आगरा

3

अन्य विवरण :-  
1. मुख्य मार्ग :- नहीं  
2. दो मार्ग :- नहीं  
3. कॉर्नर :- हां  
4. पार्क फेंसिंग :- नहीं  
सम्पत्ति का प्रकार :- खुला भूखण्ड  
सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल-(बहुमंजिला भवन की स्थिति में) -  
लागू नहीं  
कुल आच्छादित क्षेत्रफल :- लागू नहीं  
स्थिति -फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य - लागू नहीं  
पेड़ों का मूल्यांकन - लागू नहीं  
बोरिंग/कुआं/अन्य- लागू नहीं  
निर्मित क्षेत्रफल - लागू नहीं  
निर्माण का वर्ष - लागू नहीं  
सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - नहीं  
प्रतिफल की धनराशि - 38,80,000/- रुपया

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing the word 'स्थिति' (Situation).

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing the word 'स्थिति' (Situation).





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476309

4

13 JAN 2020  
आगरा

चौहद्दी -

दिशाये	नाम	सीमार्ये
पूरव	9.58 मीटर	रास्ता 12.19 मीटर चौड़ा
पश्चिम	9.58 मीटर	प्लाट नं0 03
उत्तर	15.34 मीटर	रास्ता 9 मीटर चौड़ा
दक्षिण	15.34 मीटर	प्लाट नं0 1

जमीन का सर्किल रेट - 17,000/- रूपया प्रति वर्ग मीटर

निर्माण का रेट - लागू नहीं

विक्रीत कीमत - 38,80,000/- रूपया

सरकारी मालियत - 27,49,000/- रूपया

स्टाम्प शुल्क - उक्त दर व वास्तविक विक्रय मूल्य के अनुसार

इस विक्रय पत्र पर राउण्ड ऑफ करते हुये 38,80,000/- रूपया

पर स्टाम्प देय है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प अधिनियम 1899

जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है की धारा 2(10) व 4 व 16 व

अनुसूची 1बी के अनुच्छेद के अनुसार द्वितीयपक्ष ने कुल

2,71,600/- रूपया का स्टाम्प 10 प्रतिशत कॉर्नर का अतिरिक्त

अदा किया है तथा 78,000/- रूपया का स्टाम्प वजरिये

इकरारनामा मुआहिदा वैध दिनांक 13.09.2019 को अदा किया

गया था जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 1 जिल्द 14484 के सफा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476308

5

मो. 0  
आधिकारी  
13 JAN 2020  
आगरा

269/382 में नं० 7658 पर दिनांक 13.09.2019 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है व शेष 1,93,700/- रुपया का स्टाम्प जरिये बैनामा अदा किया गया है।

प्रथमपक्ष की संख्या - एक विक्रेता का विवरण -  
भावना विल्डहोम प्रा० लि० जवाहर नगर बाई पास रोड आगरा द्वारा डायरेक्टर भगत सिंह (जाति धनगर) पुत्र स्व० श्री प्रेमचन्द निवासी जवाहर नगर बाई पास रोड आगरा (PAN AAECB4566F) (CIN No. U70102UP2009PTC038311) (Mo. 9837040482)

द्वितीयपक्ष की संख्या 1 क्रेता का विवरण -  
अजय पाल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी 3 सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड ललितपुर (PAN AZOPS9127M) मो० 8840778485

*(Signature)*  
*(Signature)*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476307

6

सुबोध मो० ख।  
प्राधिकारी

13 JAN 2020

आगरा

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

एक किता खुला प्लॉट सं० 2 भावना अरोमा मौजा दहतौरा तहसील व जिला आगरा क्षेत्रफल 146.96 वर्ग मीटर जो कि रिक्त भूमि है एवं जिस पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। पार्क फेंसिंग की नहीं है व कॉर्नर फ्री है और किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है एवं नल, पानी, बिजली आदि का कोई कनेक्शन नहीं है जिसकी नाप व सीमायें ऊपर अंकित है एवं संलग्न भूचित्र में स्पष्ट रूप से लाल रंग से दर्शाया गया है।

प्रलेख -  
विदित हो कि खसरा नं० 20 में से जमीन व तादाद 7560.5 वर्ग मीटर का एक्सचेंज डीड आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने सुबोध कुमार पुत्र श्री नत्थी लाल व संजय कुमार पुत्र श्री सुरेश चन्द निवासी 4 मास्टर प्लान रोड खंदारी आगरा के हक में दिनांक 13.03.2012 को तहरीर किया था जिसकी रजिस्ट्री वहीं नं० 1 जिल्द 8527 के सफा 321/352 में नं० 3064 पर दिनांक 14.03.2012 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है जिसके अनुसार सुबोध कुमार व संजय कुमार उक्त 7560.5 वर्ग मीटर जमीन के तनहा मालिक कामिल काबिज व दखील बने तथा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से उक्त भूमि का कब्जा व दखल वहेसियत मालिक प्राप्त किया उसके पश्चात् उपरोक्त 7560.5 वर्ग मीटर जमीन के तीन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 476306

7

आवेद मो०  
जिल्द कोषाधिकारी

13 JAN 2020

आगरा, आगरा

किता बैनामा प्रत्येक क्षेत्रफल 2520 वर्ग मीटर व 2520.25 वर्ग मीटर व 2520.25 वर्ग मीटर के सुबोध कुमार व संजय कुमार उक्त ने विक्रेता कम्पनी के हक में दिनांक 12.04.2012 को तहरीर किये जिनमें प्रथम बैनामा की रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 8664 के सफा 1/120 में नं० 5419 पर दिनांक 13.04.2012 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा द्वितीय हुई है व दोयमी बैनामा की रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 8662 के सफा 145/304 में नं० 5397 पर दिनांक 13.04.2012 को दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा द्वितीय हुई है व तृतीय बैनामा की रजिस्ट्री बही नं० 1 जिल्द 8663 के सफा 335/454 में नं० 5418 पर दिनांक 13.04.2012 पर दर्ज रजिस्टर्ड श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब आगरा हुई है वादहू उसके विक्रेता ने अपने नाम का नामांकन नियमानुसार आगरा विकास प्राधिकरण आगरा में क्रेता की हैसियत से दर्ज कराया तथा उक्त कुल जमीन का ले आउट प्लान आगरा विकास प्राधिकरण से वजरिये पत्रावली सं० 275/बी.एफ.एल./02/15-16 दिनांक 06.04.2019 को स्वीकृत कराया।

यह कि उपरोक्तानुसार प्रथमपक्ष उक्त कम्पनी उक्त जमीन की एकमात्र तनहा मालिक कामिल काबिज व दखील है तथा प्रथमपक्ष कम्पनी को वहसियत मालिक उक्त जमीन की बाबत पूर्ण हक मालिकाना मिस्ल वैया वगैरा हर किस्म के तनहा हासिल है। सिवाय प्रथमपक्ष उक्त कम्पनी के अन्य कोई स्कुदार व हिस्सेदार वगैरा उक्त



*Handwritten signature*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 813677

8

जमीन में नहीं है जो प्रथमपक्ष के किसी प्रकार के हस्तांतरण में बाधक हो तथा उक्त जमीन आज तक समस्त प्रकार के भार, बन्धक आदि से पूर्ण रूप से स्वच्छ व मुक्त है जो किसी भी योजना में अर्जित नहीं है तथा प्रथमपक्ष उक्त कम्पनी को उक्त जमीन की बाबत पूर्ण गुडटायटिल हासिल है। प्रथमपक्ष उक्त कम्पनी ने स्वीकृत ले आउट के मुताबिक उपरोक्त भूखण्ड जिसका पूर्ण विवरण ऊपर दर्ज है क्रेता को एलौट किया है जिसका एक अनुबन्ध क्रेता व विक्रेता के मध्य दिनांक 13.09.2019 को पूर्ण हो चुका है और क्रेता उक्त अनुबन्ध के तहत समस्त निर्धारित शर्तों के अनुसार उक्त भूखण्ड को विक्रेता प्रथमपक्ष से क्रय कर रहे हैं।

यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष उक्त अनुबन्ध दिनांक 13.09.2019 में प्रदत्त शर्तों के अधीन उपरोक्त वर्णित भूखण्ड क्रेता द्वितीयपक्ष से प्रतिफल की धनराशि प्राप्त कर मय गुडटायटिल के गारन्टी सहित अन्तरित व विक्रय करने को तैयार व रजामंद है एवं क्रेता द्वितीयपक्ष उक्त अनुबन्ध का अध्ययन करने के उपरान्त विक्रेता प्रथमपक्ष से उक्त वर्णित भूखण्ड के प्रतिफल धन अदा कर क्रय करने को तैयार व रजामंद है।

अतः प्रथमपक्ष ने बहैसियत डायरेक्टर उक्त कम्पनी के स्वेच्छा तथा स्वस्थ चित्त मन बुद्धि इन्द्रिय के बिना बहकाये सिखायें या दवाब नाजायज के खूब सोच समझकर उक्त भूखण्ड को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व ज्ञान व नामांकन व पृथक कर निर्धारण के



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 813678

9

अधिकारों सहित निम्नलिखित विक्रय संविदा की शर्तों के अधीन व एवज 38,80,000/- अड़तीस लाख अस्सी हजार रुपये कि जिसके आधे 19,40,000/- उन्नीस लाख चालीस हजार रुपया होते हैं बदस्त अजय पाल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी 3 सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड ललितपुर उक्त क्रेता को गुड टाइटिल के साथ निम्न वर्णित शर्तों के अधीन सदा के लिये विक्रय कर दिया एवं बेच दिया।

विक्रय संविदा इस प्रकार है :-

1. यह कि प्रथमपक्ष उक्त कम्पनी ने कीमत का कुल 38,80,000/-रुपया इस विक्रय पत्र के निष्पादन के पूर्व क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिया है।
2. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल धनराशि क्रेता द्वितीयपक्ष से निम्नानुसार प्राप्त की है :-

चैक न0	दिनांक	धनराशि	बैंक का नाम
642327	09.09.2019	388000	एस.बी.आई. ललितपुर
642329	25.10.2019	388000	
042422	13.01.2020	3104000	भारतीय स्टेट बैंक आगरा
	टोटल	3880000	

3. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूखण्ड से अपना कब्जा व दखल हटाकर इस विक्रय विलेख में उल्लिखित नाप व सीमार्यों के अनुसार द्वितीयपक्ष को वास्तविक कब्जा व दखल प्रदान कर दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत भूखण्ड का वास्तविक स्वामी व मालिक

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  




भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 813679

10

- बना दिया। अब प्रथमपक्ष का विक्रीत भूखण्ड में कोई हक व हिस्सा व स्वामित्व शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा।
4. यह कि अब द्वितीयपक्ष को पूर्ण अधिकार है कि वह क्रयशुदा भूखण्ड से वहीसियत मालिक व काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे। ऋण, विक्रय आदि जो चाहे सों करे और नियमानुसार निर्माण आदि कराये और चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल करे।
  5. यह कि द्वितीयपक्ष क्रयशुदा भूखण्ड पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों जैसे नगर निगम आगरा आदि में करा ले, विक्रेता प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
  6. यह कि प्रथमपक्ष उक्त कम्पनी द्वारा उक्त प्लॉट पूर्ण मुहतायटिल की गारण्टी के साथ विक्रय किया गया है जो हर प्रकार के चार्ज व भार किफालत देनदारी बंधक आदि से पूर्णतः मुक्त है। यदि स्वामित्व में कोई कमी पायी जाती है या उसके कारण विक्रय की हुई सम्पत्ति व आधिपत्य उपयोग में कोई कमी पायी जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व प्रथमपक्ष उक्त का होगा।
  7. यह कि उक्त भूखण्ड पर क्रेता द्वारा जो भी निर्माण किया जायेगा वह आगरा विकास प्राधिकरण आगरा से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जायेगा तथा उक्त कॉलोनी में क्रेता द्वारा जो भी ऐलिवेशन बनायेगें उसमें एक पूर्ण निर्धारित कॉलोनी के अनुसार रंग रोगन करायेगें उसमें किसी भी प्रकार का रद्दोबदल नहीं करेगें तथा कॉलोनी की एक रूपता कायम रखने के लिये जिम्मेदार होंगें तथा विक्रीत भूखण्ड में किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 032628

11

श्री १०० रु.  
न्यायिक अधिकारी  
२०१९  
आगरा, आगरा

- चलाने का अधिकार क्रेता को हासिल नहीं होगा तथा क्रेता को छत पर होर्डिंग, विज्ञापन लगाने का कोई अधिकार हासिल नहीं होगा।
8. यह कि आवासीय कॉलोनी भावना अरोमा के सार्वजनिक रास्तों पेयजल व सीवर लाईन स्ट्रीट लाइट्स, वाटर टैंक पार्क आदि के रख रखाव व सुरक्षा हेतु समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। द्वितीयपक्ष को उक्त समिति का सदस्य बनना व समिति द्वारा निर्धारित शुल्क अदा करना आवश्यक व बाध्यकारी होगा। उक्त समिति के गठन तक उपरोक्त वर्णित रखरखाव आदि के कार्य विक्रेता प्रथमपक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किये जायें तथा क्रेता द्वारा निर्धारित शुल्क एक वर्ष के लिये अग्रिम अदा करने हेतु पाबन्द रहेगा एवं शुल्क अदा न किये जाने की स्थिति में द्वितीयपक्ष अथवा उसके स्थानापन्नो को प्रदत्त सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा और देय राशि पर 15 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी देय होगा। आवासीय कॉलोनी के विकास कार्य पूर्ण होने के बाद ही निर्धारित शुल्क लागू/देय होगा।
9. यह कि क्रेता द्वितीयपक्ष द्वारा कॉलोनी की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जायेगा एवं निर्धारित स्थान पर ही कचरा डाला जायेगा एवं कॉलोनी के सार्वजनिक मार्गों व पार्क में कोई भी विज्ञापन या साइन बोर्ड नहीं लगाया जायेगा।
10. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड का प्रयोग केवल रिहायशी उद्देश्य से किया जायेगा एवं क्रय शुदा भूखण्ड में कोई भी अवैध

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 032631

12

2019

आगरा

- अनैतिक व लोक मर्यादाओं के विपरीत कार्य नहीं किया जायेगा ना ही किसी विस्फोटक पदार्थ का भण्डारण किया जायेगा।
11. यह कि द्वितीयपक्ष द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड पर वॉयलॉज ऑफ बिल्डिंग कन्ट्रोल एण्ड डवलपमेन्ट 2000 के तहत निर्माण कार्य किया जायेगा निर्माण व अन्य कार्य मानचित्र स्वीकृत होने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जायेगा। यदि क्रेता द्वारा विधिविरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही व हर्ज खर्च का क्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा। गेट के आगे किसी रैम्प का निर्माण नहीं किया जायेगा तथा रैम्प को भूखण्ड के अन्दर ही रखना होगा तथा हरियाली पेड़ पौधों की आड़ में विक्रीत भूखण्ड के आगे स्थित मार्ग पर हरिगज भी अवैधानिक कब्जा नहीं किया जायेगा ऐसा किये जाने पर रखरखाव समिति अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को क्रेता के खर्च पर रैम्प तुरुवाने व अतिक्रमण हटवाने का अधिकार होगा।
12. यह कि क्रेता द्वारा निर्माण के पश्चात् उस पर निर्मित भवन पर जो भी हाउस टैक्स वाटर टैक्स व सीवर टैक्स व इलेक्ट्रीक चार्ज व अन्य शुल्क जो भी सरकारी विभाग द्वारा निर्धारित होंगे उनको क्रेता स्वयं अदा करेंगे इससे विक्रेता प्रथमपक्ष का कोई वास्ता नहीं होगा तथा सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान डालने का हक क्रेता को हासिल नहीं होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 031883

13

NFC 2019

13. यह कि क्रेता व विक्रेता के मध्य दिनांक 13.09.2019 को हुये अनुबन्ध का अनुपालन क्रेता व उसके स्थानापन्नो पर सदैव अनिवार्य होगा।
14. यह कि इस सन्वत्ति के विक्रय पत्र के स्टाम्प व फीस का कुल खर्चा क्रेता द्वारा वहन किया गया है।
15. यह कि आवश्यकता होने पर कॉलोनी के विन्यास मानचित्र में परिवर्तन/संशोधन करने के लिये विक्रेता कम्पनी स्वतन्त्र होगी और उसमें क्रेता द्वितीयपक्ष अथवा उसके स्थानापन्नो को कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. यह कि अन्तरित भवन अथवा भूखण्ड पर सीमांकन किये जाने पर यदि उसके क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में क्रेता द्वितीयपक्ष को किसी प्रकार की कोई आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। यदि विक्रीत भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल कम होगा तो ऐसी स्थिति में कम क्षेत्रफल के मूल्य को विक्रेता विलेख में दर्शित प्रतिफल की राशि के आधार पर होगी। क्रेता को किसी भी स्थिति में सड़क अथवा पार्क को प्रभावित करने का अधिकार नहीं होगा।
17. यह कि क्रेता द्वितीयपक्ष को विक्रीत भूखण्ड अथवा भवन में गाय, भैंस, भेड़-बकरी या ऊँट आदि रखने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि कॉलोनी को आवासीय रूप में विकसित किया गया है इससे कॉलोनी वासियों को असुविधा होगी।
18. यह कि क्रेता द्वारा भवन निर्माण कराये जाने पर कॉलोनी फ्रन्ट एलिवेशन के अनुसार ही करायेगा और क्रेता द्वारा भवन का निर्माण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 920628

14

12 DEC 1974  
TREASURY, AGRA

नियमावली को ध्यान में रखते हुये कराया जायेगा तथा क्रेता को अस्थाई निर्माण करने का अधिकार हासिल नहीं होगा क्यों कि अस्थाई निर्माण से कॉलोनी की छवि दूषित होती है और पड़ोसियों को कठिनाई उत्पन्न होती है।

19. यह कि क्रेता द्वारा सम्बन्धित विभाग में अपनी लागत पर व्यक्तिगत जल व विद्युत संयोजन लेना होगा और उसके लिये जो भी प्रतिभूति व व्यय आदि होंगे वह क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे। विक्रेता कम्पनी द्वारा ओवर हेड टैंक का निर्माण किया गया है। जिससे पानी लेने का दायित्व तथा टैंक, पानी की लाइन व पम्प के रख-रखाव का कार्य एवं उत्तरदायित्व क्रेता पक्ष तथा कॉलोनी के अन्य भूखण्ड धारक, भवन स्वामियों व अध्यासियों को होगा। क्रेता तथा अन्य भूखण्ड/भवन स्वामियों द्वारा ओवर हेड टैंक सुरक्षा के लिये चौकीदार, पानी की पाइप लाइन सड़के, नाली एवं पार्क आदि की सुचारु रूप से व्यवस्थित करने में जो खर्च आयेगा वह नियमित रूप से भूखण्ड धारक /भवन स्वामियों की रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को भुगतान किया जायेगा, जिसको बनाने एवं बनवाने में सहयोग करने की जिम्मेदारी क्रेता पक्ष पूर्ण करेगा, विक्रेता का इससे कोई सम्बन्ध अथवा सरोकार नहीं होगा।

20. यह कि क्रेता द्वितीयपक्ष द्वारा कॉलोनी की सड़को नालियों एवं पार्क व अन्य सुविधाओं का उपयोग इस प्रकार किया जायेगा कि उससे कॉलोनी के अन्य भूखण्ड-धारकों/भवन स्वामियों /आवासियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा या अड़चन

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH  
 MUKESH KUMAR  
 DY. CASHER  
 15/01/2020  
 TREASURY, AGRA

16


FF 457711

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे व मसौदा दिनेश कुमार बंसल दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा द्वारा फरीकेन के कथनानुसार दिनांक 15.01.2020 ई0 को प्रिन्ट कराया।

लेखक का नाम दिनेश कुमार बंसल  
 लाईसेंस नं. 19  
 मान्य सन 20/20 तक  
 लेखक शुल्क.....  
 लेखक का हस्ताक्षर.....

*Pal*  
 

गवाह :- तेज पाल सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद नि0 ग्राम भिर्जापुरसई पो0 निघौली खुर्द तहसील व जिला एटा

*तेज पाल सिंह*  


गवाह :- शिरोमणी सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह नि0 16/146 शीतला गली घटिया आजम आगरा

*शिरोमणी सिंह*  






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

FF 457707

- उत्पन्न न हो यदि क्रेता या उसके कर्मचारी अथवा उसकी लेबर द्वारा कॉलोनी की सड़कों, नालियों व पार्क को छतिग्रस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह क्रेता का दायित्व होगा कि उन्हें वह अपने खर्च पर पुनः निर्मित करें।
21. यह कि क्रेता द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जो कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजक एवं विकास अधिनियम 1973 के प्राविधानों अथवा भवन उपविधियों या शासनादेशों की शर्तों के विपरीत हो।
  22. यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष इसके लिये भी सहमत है कि उसके द्वारा भविष्य में ऐसा कोई भी निर्माण नहीं किया जायेगा जिसको प्रोजेक्शन/छज्जा सड़क के किसी भी भाग के ऊपर आये।
  23. यह कि क्रेता भविष्य में खुद, सम्बन्धी किरायेदार अथवा अन्तरी ऐसा कोई कार्य करने की इजाजत/संरक्षण नहीं देगा। जिसको भारतीय दण्ड संहिता अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपराध की श्रेणी में रखा गया हो।

प्रथमपक्ष द्वारा संजय बंसल पुत्र श्री प्रेमबिहारी बंसल निवासी मैत्रीबाग, दयालबाग आगरा को अपना तस्दीक सुदा मुख्याखाम नियुक्त करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत कर उनकी रजिस्टरी कराने के लिए नियुक्त किया है जिसकी रजिस्टरी बही नं० 6 जिल्द 1 के सफा 241/250 क्रम संख्या 6 पर दिनांक 19.07.2019 को श्रीमान सब रजिस्ट्रार साहब प्रथम आगरा में हुई है।

01038

प्रक्रय की तिथि: 14/11/20

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन:

स्टाम्प क्रय का नाम व पता: राजपुत्रा 16

स्टाम्प की घन राशि: 100

01031

राजपुत्रा कुमार डेन्सल स्टाम्प विक्रेता  
ग्राह नं० 22, अवधि 31 मार्च 2020  
महसील सदर आगरा

आवेदन सं०: 202000766002212

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 14708 के पृष्ठ 251 से 284 तक क्रमांक 406 पर दिनांक 15/01/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

**प्रमाण पत्र/धारा 16 स्टाम्प एक्ट**

इस प्रमाण पत्र में उल्लेखित इस्तेमाल नाम/विक्रेता सं० 7658/2019  
दि० 15/01/2020 को 100 रुपये का स्टाम्प क्रय  
करा गया है। यह क्रय पत्र सं० 193/2019 में स्टाम्प क्रय  
किया जा रहा है। सं० 193/2019 के मुद्रांक पत्र  
से यंत्रिका द्वारा मुद्रण किया गया।

उप निबंधक द्वितीय  
आगरा



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अशोक कुमार सिंह  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
आगरा  
15/01/2020




SITE PLAN OF PLOT No-2 AT BHAWNA  
AROMA DAHTORA LOHAMANDI WARD AGRA  
KH. No. - 20

SELLER! BHAWNA BUILDHOME PVT. LTD.

PURCHASER! SRI AJAY PAL SINGH

(SHOWN IN RED COLOUR)

AREA) - 146.96 SQM



*Signature*



*Signature*



TRIPAL  
12/12/2017